शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1192/नौ–9–14–20ज/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2014

विषय– वर्ष 2014–15 से समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–264/26–2–2014–100(1)/2013,दिनांक 07.02.2014 एवं तदनुक्रम में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–183(1)/नौ–9–2014–20ज/2014,दिनांक 14 फरवरी,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के कम में मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1098/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 23.05.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में संशोधित लक्ष्य एवं समय–सारिणी संसूचित की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1256/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 28.05.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से तैयार किया गया ऑन लाइन साफ्टवेयर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट http://swd.up.nic.in पर उपलब्ध है। एन0आई0सी0 द्वारा लक्ष्य को भरे जाने हेतु जारी किये गये दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में इस योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का वरीयताक्रम निर्धारण शासनादेश संख्या–1614/26–2–2014–100(1)/2013,दिनांक 04.07.2014 (प्रति संलग्न)द्वारा संशोधित किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.02.2014 द्वारा योजना के कियान्वयन के अनुपालन में नागर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत (शहरी क्षेत्र) लाभार्थी सदस्यों के चयन/पात्र परिवारों के आवेदकों का आमंत्रण, जॉच व स्थलीय सत्यापन कराये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है, जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की **समस्त प्रकिया दिनांक 10 नवम्बर,2014 तक पूर्ण की जानी है।** इस योजना का नागर निकाय स्तर पर पर्याप्त प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराने

Spgo-2

के लिये नगर निगमों में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों का दायित्व होगा। उनके द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुये आवेदन पत्रों की जॉच/स्थलीय सत्यापन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी तथा शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1539/26–3–2014–4(215)/90–टी0सी0–1, दिनांक 10.09.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 से वृद्धा अवस्था पेंशन,समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन,विकलांग पेंशन तथा पूर्ण दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9–10 व दश्मोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति क्री धनराशि जवाहर भवन कोषागार,लखनऊ से पी0एफ0एम0एस0 (Public Financial Management System) प्रणाली का उपयोग करते हुये कोषागार से सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में देय धनराशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

कृपया तदनुसार प्रकरण में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

19/9/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 सचिव,समाज कल्याण अनुभाग–2,उ0प्र0शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. विशेष कार्याधिकारी,मुख्य सचिव,उ0प0शासन।
4. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश(द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ)
6. वेबमास्टर नगर विकास सचिव शाखा।
7. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

सं० 9261 /सल०वि०/2014

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1098/26–2–2014–100(1)/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2014

विषयः– समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–264/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 07.02.2014 तथा पत्र संख्या–337/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 11.02.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्वान्तों के आधार पर कियान्वयन हेतु निर्देश तथा प्रत्येक जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संशोधित लक्ष्य

2– अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों द्वारा उक्त निर्धारित किये गये लक्ष्य निर्धारण में कतिपय विसंगतियों का उल्लेख करते हुए समाजवादी पेंशन योजना हेतु संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के कम में संज्ञान में लाई गई विसंगतियों के दृष्टिगत उनका निराकरण करते हुए समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए **संशोधित जनपदवार लक्ष्य** निर्धारित कर दिया गया है, जो **संलग्नक–1** पर अवस्थित है।

3– जिला समाज कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु निर्धारित वर्गवार लक्ष्यों का ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के वार्ड वार तथा प्रत्येक वर्ग हेतु लक्ष्य का निर्धारण शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2014 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त सूचना को निदेशक, समाज कल्याण के

वेब–साईट पर विशेष रूप से बनाये सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी यह भी प्रमाणित करेंगे कि उक्त लक्ष्य सही है एवं उसे दिनांक **31 मई, 2014 तक** अपने डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करेंगे, जिससे लक्ष्यों में तदुपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके।

समय–सारिणी

4– अवगत होंगे कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2014 निर्धारित की गयी थी, किन्तु इसी मध्य चुनाव अचार संहिता प्रभावी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत चयन का कार्य बाधित रहा। उक्त के दृष्टिगत समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु समय सारिणी को पुनः निर्धारित किया गया है, ताकि इस योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। तद्नुसार समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन–पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 20 जून, 2014** निर्धारित की गयी है। संचालन हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गई है:–

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	**20 जून, 2014**
आवेदन पत्रों की जॉच/स्थलीय सत्यापन	**20 जुलाई, 2014**
ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा सूची तैयार करना	**31 जुलाई, 2014**
सूची को प्रदर्शित करना एवं आपत्तियों का आमंत्रण	**07 अगस्त, 2014**
ग्राम सभा/वार्ड कमेटी की खुली बैठक	**15 अगस्त, 2014**
खण्ड विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रभारी नगर निकाय) द्वारा लाभार्थियों की सूची का सत्यापन	**31 अगस्त, 2014**
जनपद स्तरीय समितियों का अनुमोदन	**10 सितम्बर, 2014**
लाभार्थियों की अनुमोदित सूची की डाटा इन्ट्री एवं सर्वर पर अपलोड करना	**30 सितम्बर, 2014**

5– उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। **अतः जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे।** जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। लाभार्थियों के चयन हेतु समस्त प्रक्रिया दिनांक **30 सितंबर, 2014** तक पूर्ण करा ली जाय ताकि 01 अक्टूबर, 2014 से लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि अंतरित की जा सके।

6— यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त ग्राम सभा/वार्ड कमेटी की खुली बैठक **दिनांक 15 अगस्त, 2014** तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से आयोजित करा ली जाय। उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त बैठक में निर्धारित कोरम पूर्ण हो। बैठक के शांतिपूर्ण तथा सुचारू ढंग से संचालित कराने का दायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी का होगा।

7— समाजवादी पेंशन योजना के संचालन विषयक उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2014 के प्रस्तर—13.8 में त्रुटिवश "समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय," टंकित हो गया है, के स्थान पर "समाजवादी पेंशन योजना के चिन्हित परिवार के 0 से 5 वर्ष के बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय," पढ़ा जाय।

8— यह सुनिश्चित किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित कियान्वयन हेतु उक्त संशोधित लक्ष्य एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पादित की जाय।

संलग्नकः— यथोपरि

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

पृ0संख्या— 1098 (1)/26—2—2014 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।
2— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5— समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी(नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना), उ0प्र0।
7— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
9— विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

23.5.14
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

"समाजवादी पेंशन योजना" के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों हेतु संशोधित जनपदवार लक्ष्य

क0 सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण				शहरी				महायोग
		अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	अलीगढ़	7618	7266	14584	29468	7302	2146	6156	15604	45072
02	एटा	3818	6502	14487	24807	1883	862	2944	5689	30496
03	हाथरस	1731	8960	6404	17095	990	3492	2300	6782	23877
04	कासगंज	2466	5357	9175	16998	1212	971	1912	4095	21093
001	अलीगढ़ मण्डल	15633	28085	44650	88368	11387	7471	13312	32170	120538
05	आगरा	3116	17903	14422	35441	5567	9028	10988	25583	61024
06	फिरोजाबाद	4343	6421	13863	24627	4463	2559	5931	12953	37580
07	मथुरा	2163	5892	11137	19192	2009	1588	4590	8187	27379
08	मैनपुरी	1796	8422	15490	25708	723	561	2528	3812	29520
002	आगरा मण्डल	11418	38638	54912	104968	12762	13736	24037	50535	155503
09	आजमगढ़	20132	16750	44560	81442	3894	299	3674	7867	89309
10	बलिया	6041	10512	40014	56567	1546	590	4458	6594	63161
11	मऊ	8070	10429	14179	32678	4544	1563	3727	9834	42512
003	आजमगढ़ मण्डल	34243	37691	98753	170687	9984	2452	11859	24295	194982
12	इलाहाबाद	11437	47180	35117	93734	8612	742	10750	20104	113838
13	कौशाम्बी	7356	32768	22442	62566	1326	1247	1381	3954	66520
14	फतेहपुर	8912	31169	25362	65443	2391	6262	5929	14582	80025
15	प्रतापगढ़	13870	14644	37143	65657	1835	475	2160	4470	70127
004	इलाहाबाद मण्डल	41575	125761	120064	287400	14164	8726	20220	43110	330510
16	इटावा	1879	8167	10851	20897	1318	956	3168	5442	26339
17	औरैया	1768	7322	9798	18888	691	1218	1622	3531	22419
18	कन्नौज	4329	9582	11362	25273	2041	1136	2250	5427	30700
19	कानपुर नगर	3073	23168	19785	46026	14720	4558	15794	35072	81098
20	फर्रूखाबाद	5645	5302	15121	26068	3706	1045	4423	9174	35242
21	कानपुर देहात	3492	16715	21481	41688	893	1231	1977	4101	45789
005	कानपुर मण्डल	20186	70256	88398	178840	23369	10144	29234	62747	241587
22	कुशीनगर	19592	9575	43502	72669	2194	559	11532	14285	86954
23	गोरखपुर	7704	21032	34626	63362	4427	1748	8203	14378	77740
24	देवरिया	12049	6088	42035	60172	3124	795	4873	8792	68964
25	महाराजगंज	13729	14600	32253	60582	1724	332	1691	3747	64329
006	गोरखपुर मण्डल	53074	51295	152416	256785	11469	3434	26299	41202	297987
26	चित्रकूट	1344	14829	20896	37069	351	287	1710	2348	39417
27	बांदा	3798	14863	26844	45505	1668	986	3639	6293	51798
28	महोबा	2039	13030	17216	32285	1344	1435	3517	6296	38581
29	हमीरपुर	2114	7327	16874	26315	996	873	2318	4187	30502
007	चित्रकूटधाम मण्डल	9295	50049	81830	141174	4359	3581	11184	19124	160298

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण				शहरी				महायोग
		अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	झांसी	2204	17633	20079	39916	3545	2588	7882	14015	53931
31	जालौन	3020	12705	14872	30597	2163	2264	3603	8030	38627
32	ललितपुर	1530	13790	22476	37796	479	1065	3029	4573	42369
008	**झांसी मण्डल**	**6754**	**44128**	**57427**	**108309**	**6187**	**5917**	**14514**	**26618**	**134927**
33	गोण्डा	17897	15224	37576	70697	3163	137	2605	5905	76602
34	बलरामपुर	20033	6569	15765	42367	4158	757	1426	6341	48708
35	बहराइच	26358	7462	23328	57148	6909	70	2412	9391	66539
36	श्रावस्ती	14948	11588	20297	46833	1031	157	554	1742	48575
009	**देवीपाटन मण्डल**	**79236**	**40843**	**96966**	**217045**	**15261**	**1121**	**6997**	**23379**	**240424**
37	अम्बेडकर नगर	10440	2234	22047	34721	2426	531	2300	5257	39978
38	अमेठी	5119	12385	12968	30472	854	452	958	2264	32736
39	फैजाबाद	7304	8689	17917	33910	2686	212	2828	5726	39636
40	बाराबंकी	13521	18047	18428	49996	3257	1017	2012	6286	56282
41	सुल्तानपुर	12624	7957	26867	47448	1486	281	1376	3143	50591
010	**फैजाबाद मण्डल**	**49008**	**49312**	**98227**	**196547**	**10709**	**2493**	**9474**	**22676**	**219223**
42	पीलीभीत	14732	11858	10303	36893	3718	1013	6308	11039	47932
43	बदायूँ	9060	20957	17530	47547	4706	2123	3602	10431	57978
44	बरेली	17575	11989	16317	45881	20106	2144	8306	30556	76437
45	शाहजहाँपुर	11556	17447	21065	50068	5913	1579	5343	12835	62903
011	**बरेली मण्डल**	**52923**	**62251**	**65215**	**180389**	**34443**	**6859**	**23559**	**64861**	**245250**
46	बस्ती	10699	6465	26022	43186	1493	168	1573	3234	46420
47	सिद्धार्थनगर	24085	4995	24518	53598	2264	180	1015	3459	57057
48	संतकबीरनगर	12798	10712	17161	40671	2306	418	1307	4031	44702
012	**बस्ती मण्डल**	**47582**	**22172**	**67701**	**137455**	**6063**	**766**	**3895**	**10724**	**148179**
49	अमरोहा	7086	7819	4773	19678	5396	673	1606	7675	27353
50	बिजनौर	21016	45929	10747	77692	15706	1934	3468	21108	98800
51	सम्भल	7841	3636	6858	18335	7024	1448	3468	11940	30275
52	मुरादाबाद	16616	10445	8717	35778	17094	1044	4304	22442	58220
53	रामपुर	16292	11712	7275	35279	12583	562	3628	16773	52052
013	**मुरादाबाद मण्डल**	**68851**	**79541**	**38370**	**186762**	**57803**	**5661**	**16474**	**79938**	**266700**
54	गाजियाबाद	2941	969	3994	7904	8541	1829	5291	15661	23565
55	गौतमबुद्धनगर	506	1708	1709	3923	707	136	933	1776	5699
56	हापुड़	1978	3210	2899	8087	5694	529	3385	9608	17695
57	बागपत	3115	6732	4549	14396	1807	754	1201	3762	18158
58	बुलन्दशहर	10842	32319	25848	69009	7731	3383	5537	16651	85660
59	मेरठ	7283	14521	6427	28231	16110	4610	6164	26884	55115
014	**मेरठ मण्डल**	**26665**	**59459**	**45426**	**131550**	**40590**	**11241**	**22511**	**74342**	**205892**
60	उन्नाव	6390	20298	21356	48044	2689	1227	3634	7550	55594

क0 सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण				शहरी				महायोग
		अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	अल्प संख्यक	अनु0 जाति/ जनजाति	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	खीरी	15055	28470	25262	68787	4271	513	3044	7828	76615
62	रायबरेली	7973	14800	23008	45781	1985	589	2435	5009	50790
63	लखनऊ	3487	23050	10784	37321	14330	2641	10167	27138	64459
64	सीतापुर	16955	35041	24904	76900	5371	3171	3472	12014	88914
65	हरदोई	12669	26369	31321	70359	4069	1857	4629	10555	80914
015	लखनऊ मण्डल	**62529**	**148028**	**136635**	**347192**	**32715**	**9998**	**27381**	**70094**	**417286**
66	गाजीपुर	9835	20530	41233	71598	1935	419	3297	5651	77249
67	चन्दौली	4645	16842	23155	44642	1285	765	2231	4281	48923
68	जौनपुर	14563	20592	55385	90540	2750	882	4427	8059	98599
69	वाराणसी	7272	13799	25516	46587	11515	1036	12430	24981	71568
016	वाराणसी मण्डल	**36315**	**71763**	**145289**	**253367**	**17485**	**3102**	**22385**	**42972**	**296339**
70	मिर्जापुर	5147	26608	39038	70793	1876	532	4146	6554	77347
71	संत रविदास नगर	3993	10596	13122	27711	1384	637	1901	3922	31633
72	सोनभद्र	2844	34309	27373	64526	1545	661	3740	5946	70472
017	विन्ध्याचल मण्डल	**11984**	**71513**	**79533**	**163030**	**4805**	**1830**	**9787**	**16422**	**179452**
73	सहारनपुर	15063	32904	10395	58362	12285	2460	3300	18045	76407
74	मुजफ्फर नगर	10612	11385	11246	33243	8496	702	2804	12002	45245
75	शामली	7054	727	5031	12812	5664	2505	2290	10459	23271
018	सहारनपुर मण्डल	**32729**	**45016**	**26672**	**104417**	**26445**	**5667**	**8394**	**40506**	**144923**
	महायोग	**660000**	**1095801**	**1498484**	**3254285**	**340000**	**104199**	**301516**	**745715**	**4000000**

सं० 1257 / ... / 2014

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1256/26–2–2014–100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2014

विषयः– **समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1098/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 23.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में संशोधित लक्ष्य एवं समय–सारिणी संसूचित की गयी थी।

2– उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि दिनांक 31 मई, 2014 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी निदेशक, समाज कल्याण, के वेब–साईट पर विशेष रूप से बनाये गये सॉफ्टवेयर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु निर्धारित वर्गवार लक्ष्यों का ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के वार्डवार और प्रत्येक वर्ग हेतु जिलाधिकारी के द्वारा अनुमोदित लक्ष्य को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर तैयार कर ली गयी है और वह विभागीय वेब–साईट http://swd.up.nic.in पर उपलब्ध है। एन0आई0सी0 के द्वारा लक्ष्य को भरे जाने हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देश की भी एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

3– समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20 जून, 2014 निर्धारित की गयी है। आवेदन–पत्र का प्रारूप पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है और पत्र संख्या–343/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 11 फरवरी, 2014 में आवेदन–पत्रों को छपवाने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दिनांक 15 फरवरी, 2014 तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये थे। यह भी इंगित किया गया था कि सभी तरह से पूर्ण आवेदन–पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा किये जायेंगे।

4– आवेदन–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक आवेदन–पत्र की प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायी जानी है तथा आवेदन–पत्र कमांक एवं आवेदन–पत्र जमा करने की तिथि को भी पंचायत सचिव/नगर निकाय कर्मी द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना है। चूँकि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त

करने की अंतिम तिथि दिनांक 20 जून, 2014 निर्धारित की गयी है और यह प्रक्रिया फरवरी, 2014 से ही प्रारंभ हो चुकी है, अतः आपके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड हेतु आवश्यक कर्मी को चिन्हित कर लिया गया होगा और उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारी सौंप दी गयी होगी। अतएव आपसे यह अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड हेतु निर्दिष्ट कर्मी का नाम, पदनाम व मोबाईल नंबर एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर **विलंबतम 05 जून, 2014** तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

5— ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी प्राप्त आवेदन—पत्रों की सूची बनायी जानी है तथा सत्यापन के उपरांत अर्ह एवं अनर्ह पाये गये आवेदनकर्ताओं की सूची भी प्रदर्शित की जानी है एवं आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जनसाधारण को समय दिया जाना है। इस कार्य को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से एन0आई0सी0 द्वारा एक ऑफलाईन सॉफ्टवेयर विकसित की गयी है जो विभागीय वेब—साईट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इस सॉफ्टवेयर पर सभी आवेदन—पत्रों के कतिपय अनिवार्य विवरण फीड की जानी है तथा प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे जनपद स्थित एन0आई0सी0 कार्यालय में पिछले दिन ऑफलाईन सॉफ्टवेयर पर फीड किये गये आवेदन—पत्रों की सूचना को एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपलोड कराना जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे ताकि सम्पूर्ण विवरण ऑनलाईन उपलब्ध हो सके और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की सूची प्रकाशित की जा सके। सत्यापन के संबंध में भी सॉफ्टवेयर का एक अलग मॉड्यूल दिनांक 15 जून, 2014 तक आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि दिनांक 20 जून, 2014 के उपरांत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए अपलोड करना संभव हो सके।

6— अतएव ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों के वार्डवार प्राप्त हुए आवेदन—पत्रों का ऑफलाईन सॉफ्टवेयर पर डाटा इंट्री का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करा दिया जाय और यह प्रयास किया जाय कि दिनांक 20 जून, 2014 तक प्राप्त समस्त आवेदन—पत्रों की जानकारी उक्त सॉफ्टवेयर पर **विलंबतम दिनांक 25 जून, 2014** तक फीड कराकर एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपलोड करा दिया जाय।

7— समाजवादी पेंशन योजना के उपरोक्तानुसार समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा प्रगति की नियमित समीक्षा अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— यथोपरि

भवदीय,

/

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पु0संख्या— 1256(1)/26—2—2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।

2— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
ज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी, उत्तर प्रदेश।
आयुक्त, उ0प्र0।
य विकास अधिकारी(नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना), उ0प्र0।
डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
जला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी, उत्तर प्रदेश।
य पुस्तिका।

आज्ञा से,

28.5.15

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

अ– समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपदों द्वारा विकास खण्ड, ग्राम पंचायत/नगर क्षेत्र, वार्ड वार लक्ष्य भरे जाने हेतु निर्देश।

1. सर्वप्रथम http://swd.up.nic.in पर जाकर दिये गये लिंक "समाजवादी पेंशन योजना" पर क्लिक करें।
2. तत्पश्चात नये खुले हुये वेब पेज पर "समाजवादी पेंशन योजना हेतु लक्ष्य भरें" को क्लिक करें। तदोपरान्त अपना जनपद चुनकर अपना पासवर्ड डालकर लागिन करें। प्रथम लागिन करने के पश्चात अपना पासवर्ड अवश्य रूप से बदल लें। लागिन करने के पश्चात नये खुले वेब पेज पर "ब्लाक/टाउन का लक्ष्य भरें" आप्शन पर क्लिक करें।
3. ब्लाक वार लक्ष्य भरने हेतु Rural सेलेक्ट करें। सभी ब्लाक स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेंगे। कटेगरी वार लक्ष्य भरने हेतु सम्बन्धित ब्लाक के सामने दिये गये टेक्स्ट बाक्स में एक–एक करके लक्ष्य भरें और सेव करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करें।
4. टाउन वार लक्ष्य भरने हेतु Urban सेलेक्ट करें। सभी टाउन स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेंगे। कटेगरी वार लक्ष्य भरने हेतु सम्बन्धित टाउन के सामने दिये गये टेक्स्ट बाक्स में एक–एक करके लक्ष्य भरें और सेव करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. उल्लेखनीय है कि ब्लाक वार एवं टाउनवार जो लक्ष्य भरा गया है उसका योग जनपद के निर्धारित लक्ष्य से अधिक नही हो सकता है।
6. उपरोक्त भरे गये लक्ष्यों के विवरण का प्रिन्ट रिर्पोट आप्शन के द्वारा लिया जा सकता है।
7. ग्राम पंचायत/वार्ड वार लक्ष्य भरने हेतु "पंचायत/वार्ड लक्ष्य भरें" को सेलेक्ट करें, तत्पश्चात पंचायत हेतु Rural एवं वार्ड हेतु Urban पर क्लिक करें। Rural सेलेक्ट करने पश्चात समस्त ब्लाक की सूची काम्बो बाक्स में प्रदर्शित हो जायेगी। जिस ब्लाक के सापेक्ष पंचायत का लक्ष्य भरना है, उस ब्लाक को सेलेक्ट करें तथा उस ब्लाक से सम्बन्धित सभी पंचायत स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगी। पंचायतों के सम्मुख दिये गये केटेगरी वार लक्ष्य दिये गये टेक्स्ट बाक्स में भरें तथा सेव करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करें।
8. इसी तरह से वार्ड वार लक्ष्य भरने हेतु Urban सेलेक्ट करने के पश्चात सम्बन्धित टाउन को सेलेक्ट करें और सम्बन्धित वार्ड में केटेगरी वार लक्ष्य भरें।
9. पंचायत वार/वार्ड वार भरे गये लक्ष्य देखने/प्रिन्ट करने हेतु प्रिन्ट आप्शन का प्रयोग करें।
10. समस्त लक्ष्य भरने के पश्चात साफ्टवेयर में दिये गये डिजिटल सिग्नेचर के आप्शन का प्रयोग करते हुये उसे डिजिटल साइन करें।

ब– समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत सत्यापन हेतु पंचायत/वार्ड स्तर पर नामित अधिकारियों के विवरण भरे जाने हेतु निर्देश।

1. सत्यापन हेतु पंचायत/वार्ड स्तर पर नामित अधिकारियों के विवरण भरने हेतु स्क्रीन पर दिये गये आप्शन **"सत्यापन अधिकारी का विवरण"** पर क्लिक करें।
2. तत्पश्चात ग्राम पंचायत स्तर हेतु Rural आप्शन सेलेक्ट करें और वार्ड स्तर हेतु Urban सेलेक्ट करें।
3. Rural सेलेक्ट करने के पश्चात दिये गये प्रदर्शित ब्लाक की सूची में से जिस ब्लाक के सापेक्ष पंचायतों के सत्यापन अधिकारी का विवरण भरना है, उस ब्लाक को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के पश्चात स्क्रीन पर सभी पंचायत एवं उसके सम्मुख अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नम्बर की टेक्स्ट बाक्स प्रदर्शित होगी। एक–एक करके सभी पंचायत स्तर के अधिकारी का उक्त विवरण भरकर सेव करें।
4. इसी प्रकार से वार्ड स्तर के अधिकारियों का विवरण भरें।

स– समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत भरे गये आवेदन पत्रों के डाटा इन्ट्री हेतु आफलाइन साफ्टवेयर के लिये दिशा निर्देश।

1. सर्व प्रथम http://swd.up.nic.in पर जाकर "समाजवादी पेंशन योजना" पर क्लिक करें, तत्पश्चात नये वेब पेज पर "समाजवादी पेंशन योजना हेतु आफलाइन डाटाइन्ट्री साफ्टवेयर" पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात नये खुले हुये वेब पेज पर डाटाइन्ट्री साफ्टवेयर, मैनुवल, डाटाबेस स्ट्रक्चर एवं मास्टर डाटाबेस के डाउनलोड हेतु लिंक दिये गये है। उसे डाउनलोड कर लें। तत्पश्चात दिये गये मैनुवल को पढ़कर साफ्टवेयर पर डाटाइन्ट्री करायें।
2. उक्त साफ्टवेयर को लोकल एरिया नेटवर्क पर भी चलाया जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क पर जुड़े हुये एक से अधिक कम्प्यूटर पर डाटाइन्ट्री करायी जा सकती है। परन्तु डाटाबेस एक ही सिस्टम पर होना आवश्यक है।
3. अन्य तकनीकी विवरण मैनुवल में वर्णित हैं।